पत्रांक 11/आ. 4-आ० वि०-01/95 का०-117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30.9.1995

विषय :- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-का०-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत पूरा होने पर भी रिक्ति उपलब्ध होने पर रोस्टर प्रणाली हर हालत में लागू होगी ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या-79/1979 (आर. के. सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.2.95 को पारित आदेश से यह न्याय निर्देश दिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग के निर्धारित प्रतिशत के पूरी होने के उपरान्त रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा, तत्पश्चात किसी सेवा/संवर्ग में सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु अथवा अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्तियाँ उपलब्ध होंगी, उन रिक्तियों को उसी वर्ग से भरा जा सकेगा ।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-सी० डब्लू० जे० सी०-1151/1991 (विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7009/1991 (श्री के० पी० श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-9874/1989 (श्री के० डी० भगत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्देश के आलोक में दिनांक

6.4.95 को समेकित रूप में पारित आदेश से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-15/आ. आ. को. 0145/89 का.-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त कर दिया है ।

4. उपर्युक्त न्याय-निर्देश के आलोक में सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त करते हुये निर्णय लिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने के उपरांत संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा । इसके पश्चात् सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु एवं अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्ति उपलब्ध होगी उस रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा जिस वर्ग से रिक्ति उपलब्ध हुई है, अर्थात सामान्य वर्ग की रिक्ति सामान्य वर्ग से एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ति को संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरा जायेगा ।

5. किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित वर्ग के लिए पद नियमानुसार अग्रणीत रहेंगे ।

6. यह आदेश उन सभी मामलों में लागू होगा जिनमें नियुक्ति/प्रोन्नति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।